



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 श्रावण 1943 (श10)

(सं० पटना 669) पटना, शुक्रवार, 6 अगस्त 2021

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

4 अगस्त 2021

सं० 15/औ०-04-04/16-1020(15)/स्वा०-औषधि एवं अंगराग अधिनियम, 1940 की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटी के पदाधिकारी (1) Shri Amar Jyoti Chamuah, Junior Scientific Assistant, (2) Shri Dilip Kr. Sarkar, Junior Scientific Assistant (3) Smt. Rinku Kalita, Junior Scientific Assistant, (4) Shri Arun Kumar Das, Junior Scientific Assistant को भारत सरकार के राजपत्र सं० 1082 दिनांक-12.03.2021 के आलोक में संपूर्ण बिहार राज्य के लिए इस अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से नीचे वर्णित औषधियों के वर्गों के सिवाय औषधियों के सभी वर्गों की बाबत "सरकारी विश्लेषक" के रूप में नियुक्त किया जाता है :-

- (i) सेरा
- (ii) इंजेक्शन के लिए आशयित सीरम प्रोटीन्स का धोल
- (iii) वैक्सीन (आंत्रेतर और मुख से)
- (iv) टॉक्सिन
- (v) एंटीजन
- (vi) एंटी-टॉक्सिन
- (vii) विसंक्रमित शल्यबन्ध और विसंक्रमित टांके
- (viii) बैक्टेरियोफेज
- (ix) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए एंटी-सेरा
- (x) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए वैक्सीन
- (xi) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए टॉक्साइड्स
- (xii) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए नैदानिक एंटीजन
- (xiii) बी डी आर एल एंटीजन

- (xiv) एच आई वी एंटीबॉडी मुक्त परिक्षण के लिए मानव रक्त और मानव रक्तोत्पाद घटक सहित
(xv) ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु, हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन और हेपेटाइटिस सी विषाणु के लिए रक्त समूहन अभिकर्मक और नैदानिक किटें और
(xvi) कण्डोम

पूर्व में निर्गत अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश :- एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम ईश्वर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 669-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**